रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 1989/ ज्येष्ठ 6, 1911
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1989/JYAISTHA 6, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders Issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 मई, 1989

का. नि. आ. 131 :– राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देते हैं कि रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में, रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद के नित्य प्रति के कर्तव्यों का अनुपालन करने वाला ज्येष्ठतम रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक में निहित नियुक्ति, अनुशासनिक और अपील प्राधिकारी की शक्तियों का तब तक प्रयोग करेगा जब तक कि रक्षा लेखा महानियंत्रक का पद नियमित आधार पर नहीं भरा जाता।

[सं० प्रशा०/XIII/13007/2/जिल्द-IV (पी०सी०-II)]

आर. एन. मनचन्दा, वित्तीय सलाहकार तथा उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 5th May, 1989

S.R.O. 131.—In exercise of the power conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24, of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby orders that the senior-most Additional Controller General of Defence Accounts in the office of the Controller General of Defence Accounts performing current duties of the post of Controller General of Defence Accounts shall exercise the powers of the Controller General of Defence Accounts under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1965, till the post of the Controllr General of Defence Accounts is filled up on a regular basis.

[No. AN/XIII/13007/2/Vol. IV (PC-II)]
R. N. MANCHANDA, Dy. Financial Adviser and Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 मई, 1989

का. नि. आ. 132 :– केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, नौसेना (वेतन और भत्ते) विनियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 1988 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नौसेना (वेतन और भत्ते) विनियम, 1966 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) विनियम 23 के उपविनियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :

"(ख) अन्य मामलों में आधी दरों पर सिवाय नौसेना एअर स्क्वाड्रन के आफिसरों के, जब कि वे आई एन एस विक्रांत के फलक पर पोतारोहण कर रहे हों"।

3. उक्त विनियम के विनियम 29 के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और विनियम अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"छोटी पनडुब्बी वेतन"

29—क अनुज्ञेयता और दर— (1) छोटी पनडुब्बी का कर्मीदल जब कि वह छोटी पनडुब्बी कर्मीदल की संख्या में हो, छोटी पनडुब्बी वेतन का हकदार होगा जो टिप्पण में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए पनडुब्बी चालकों को अनुज्ञेय पनडुब्बी वेतन के समतुल्य होगा।

(2) छोटी पनडुब्बी वेतन सभी प्रयोजनों के लिए वेतन समझा जाएगा।

टिप्पण :- पनडुब्बी वेतन के समतुल्य छोटी पनडुब्बी वेतन इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा कि छोटी पनडुब्बी कर्मीदल संख्या के अधिकारी सभी जोखिमों के संबंध में नौसेना समूह बीमा स्कीम के माध्यम से प्रत्येक मास 234 रुपये के अभिदाय के संदाय पर दो लाख रुपये की रकम के लिए अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ प्राप्त करते हैं। नौसेना समूह बीमा स्कीम उक्त बीमा स्कीम के अंतर्गत आने वाले अफसरों को सेवा निवृत्ति/निर्मुक्ति पर उत्तर जीविका के फायदों का संदाय करेगी, जिनकी रकम का अवधारण समय समय पर नौसेना समूह बीमा स्कीम द्वारा किया जाएगा।

3. उक्त विनियम के विनियम 31 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(1) महंगाई भत्ता निम्नलिखित से भिन्न छुट्टी की किसी कालावधि के दौरान लिया जा सकेगा (1) भारत में या भारत के बाहर वेतन और भत्तों के बिना छुट्टी (2) सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी का भारत के बाहर बिताया गया कोई भाग सिवाय इसके कि भारत में सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी की दशा में वह प्रथम 180 दिनों के दौरान ही अनुज्ञेय होगा।"

4. उक्त विनियम के विनियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"36 मासिक दर को पूर्णांकित करना — वास्तविक संगणना पर किसी मास के लिए निकाली गई महंगाई भत्ते की रकम को निकटतम दस पैसे तक पूर्णांकित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 5½ पैसे से अन्यून भाग को 10 पैसे तक पूर्णांकित किया जाएगा और 5½ से न्यून भाग की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा।"

5. उक्त विनियम के विनियम 48 में "विनियम 148 के उपविनियम (1) से लेकर विनियम 8 तक" कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) विनियम 148 के उपविनियम (1) से लेकर विनियम (9) तक"।

6. उक्त विनियम के विनियम 60 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"60. पूर्ण और आधी दरों के लिए पोतों का वर्गीकरण -

(1) पोतों के ऐसे वर्ग जिन पर सेवा पूर्ण दरों" पर अतिरिक्त धन के लिए अर्ह हैं, निम्नलिखित हैं :—

(क) सुरंग अपमाजक :—

(1) मोटर सुरंग अपमाजक

(2) अन्तटीय सुरंग अपमाजक

(3) तटीय सुरंग अपमाजक, वेदी भावनगर

(4) पांडिचेरी

(5) पोरबन्दर

(6) एलपी

(7) रत्नागिरी

(8) आई एन एस डी बी टी – 55

(9) मालवन

(10) मंग्रोल

(11) मद्दे

(12) मलसे

(13) गुलकी

(14) मावल

(15) आई एन क्लास - 351

(16) आई एन एस मकर

(ख) उद्धरण जलयान और समुद्र में जाने वाली कर्षण नाव (टग)

(ग) उतरने वाला यान बड़ा और छोटा उतरने वाला यान और उतरने वाली वर्ग :—

एल—31, एल—32, आई एन सी एल यू - 33
आई एन सी एल यू - 34

(घ) छोटा यान :—

(1) सुरंग अपमाजक और पनडुब्बी भार कार्य पर ट्राऊलर और यान

(2) परीक्षा यान

(3) मोटर टारपीडो नाव

(4) मोटर गनरी नाव

(5) सीवार्ड पैट्रोल यान

(6) समुद्र में जाने वाली लांचे

(ङ) पनडुब्बियां :— कलवाड़ी, खंडरी, करंज, कुरसुरा, निस्तार, वेला, वागिर, वागली, वाक्सीर।

(च) मिसाइल नौकाएं :— विनाश, नोनघाट, विद्युत, निर्भीक, विजेता, नाशक, वीर, निपात, प्रताप, प्रलय, प्रवाल, प्रचंड, चपल, चमक, चराग, चातक, विजयदुर्ग, सिन्धु दुर्ग, होशदुर्ग।

(छ) सी-वार्डस रक्षा नौकाएं :— टी- 52, टी- 53, आई एन एस डी बी- 51, आई एन एस डी बी- 54।

(ज) टारपीडो उद्धरण यान :— आई एन टी आर बी- 71, आई एन टी आर बी- 72।

7 उक्त विनियम के विनियम 87 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"87-दरें :- (क) अर्हता वेतन अधिकारियों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञेय होगा :—

(1) अर्हता वेतन की उच्चतर दरें : वे आफिसर जो परिशिष्ट 8 की धारा 2 में सूचीबद्ध अर्हताएं रखते हैं।

.... रु. 125/प्रतिमास

वे आफिसर जो परिशिष्ट 8 की धारा 1 में सूचीबद्ध अर्हताएं रखते हैं।

.... रु. 100/- प्रतिमास

(2) अर्हता वेतन की निम्नतर दर :— वे आफिसर जो परिशिष्ट 8 की धारा 3 में सूचीबद्ध अर्हता रखते हैं।

.... रु. 70/- प्रतिमास

(ख) एक मुश्त अर्हता अनुदान आफिसरों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञेय होगा :—

(1) वे आफिसर जो परिशिष्ट 8 की धारा 4 में सूचीबद्ध अर्हताएं रखते हैं।

.... रु. 6000.00

(2) वे आफिसर जो परिशिष्ट 8 की धारा 5 में सूचीबद्ध अर्हताएं रखते हैं।

..... रु. 4500.00

(3) वे आफिसर जो परिशिष्ट 8 की धारा 6 में सूचीबद्ध अर्हताएं रखते हैं।

..... रु. 2400.00

(4) वे आफिसर जो परिशिष्ट 8 की धारा 7 में सूचीबद्ध अर्हताएं रखते हैं।

..... रु. 1600.00

टिप्पण 1. ऐसे आफिसर जो 31 मार्च, 1975 को या उसके पूर्व पहले से ही अर्हता वेतन प्राप्त कर रहे थे (जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जो इसके लिए पात्र थे किन्तु जिन्होंने उक्त वेतन प्राप्त नहीं किया था) अर्हता वेतन प्राप्त करने के प्रारम्भ की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के लिए अर्हता वेतन प्राप्त करने के लिए टिप्पण 2 में शर्त के अधीन रहते हुए या जब तक कि वे प्रोन्नति के कारण या अन्यथा जो भी पूर्ववर्ती हो, अपात्र नहीं हो जाते हैं अनुज्ञात होंगे।

टिप्पण 2. टिप्पण 1 में निर्दिष्ट 10 वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने के पश्चात अर्हता वेतन वैयक्तिक वेतन माना जाएगा और 1 मार्च, 1976 से या उसके पश्चात से देय भत्ते में यदि कोई हो, आमेलित किया जाएगा।

टिप्पण 3. ऐसे आफिसरों की दशा में, जिन्हें प्रारम्भ में निम्नतर दर पर अर्हता वेतन मंजूर किया गया था और जिन्हें पश्चातवर्ती उच्चतर दर पर अर्हता वेतन मंजूर किया गया था, 10 वर्ष की कालावधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिससे उन्होंने बाद वाली दर पर अर्हता वेतन प्राप्त करना आरम्भ किया था।

टिप्पण 4. ऐसे आफिसरों की दशा में जो विद्यमान आदेशों के अधीन अर्हता प्राप्त करने पर अर्हता अनुदान की उच्चतर या निम्नतर दरों के लिए पात्र थे किन्तु जिन्होंने उसे 31 मार्च, 1975 में या उसके पूर्व उसे प्राप्त नहीं किया था, उच्चतर और निम्नतर अर्हताओं के लिए क्रमशः 2400 रुपए और 1600 रुपये की दरों पर उसे प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात होंगे।

टिप्पण: 5 1 अप्रैल, 1975 को ऐसा आफिसर जिसने पहले निम्नतर अर्हता अर्जित की और पश्चातवर्ती उच्चतर अर्हता अर्जित की पश्चातवर्ती अर्हता के अर्जन पर दोनों अनुदानों के बीच के अन्तर को प्राप्त करने का हकदार होगा।

8 उक्त विनियम के विनियम 89 में—

(i) खण्ड (ख) में निम्नलिखित शब्द जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"या",

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) केवल अभिवाय का संदाय करके सोसाइटियों या एसोसिएशनों की सदस्यता मात्र प्राप्त करके या अवधि के खत्म हो जाने पर कोई अर्हता।

9 उक्त विनियमों के विनियम 104 के पश्चात निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"104क नौसेना विमानन आफिसरों को परीक्षण पायलेट भत्ता—250 रुपये प्रतिमास परीक्षण पायलेट भत्ता नौसेना के अर्हता प्राप्त परीक्षण पायलटों को अनुज्ञेय होगा, जब कि वे नौसेना में परीक्षण उड़ान ड्यूटी करने के लिए किसी यूनिट की तैनाती संख्या पर हों, अधिसंख्य पद पर हों या अटैचमेंट पर हों, जब तक कि परीक्षण पायलेटों को मंजूर किए गए स्थापन में वृद्धि नहीं की जाती है।

परीक्षण पायलेट भत्ते के रूप में माना जाएगा न कि किसी भी समय वेतन के रूप में और परीक्षण पायलेटों को उनकी वार्षिक छुट्टी की कालावधि के दौरान अस्थायी ड्यूटी/अटैचमेंट की कालावधि के दौरान भी अनुज्ञेय बना रहेगा, परन्तु यह तब जब तक कि ऐसी अस्थायी ड्यूटी अटैचमेंट की कालावधि तीन मास से अधिक न हो और यह कि उनकी अस्थायी ड्यूटी/अटैचमेंट के पूरा होने के पश्चात ऐसी संभावना हो कि वे परीक्षण/उड़ान ड्यूटी पुनः ग्रहण करेंगे। परीक्षण पायलेट भत्ता अनुदेश पाठ्यक्रमों की कालावधि के दौरान भी अनुज्ञेय होगा। परन्तु यह तब जब कि वे पाठ्यक्रम के पूरा होने पर परीक्षण उड़ान ड्यूटी के लिए वापस जाते हैं। यदि कोई परीक्षण पायलेट पूर्व सेवानिवृत्ति चाहता है तो वह सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान केवल वार्षिक छुट्टी की, यदि शून्य हो, अपनी हकदारी के समतुल्य कालावधि के लिए परीक्षण पायलेट भत्ता प्राप्त करेगा"।

10 उक्त विनियम के विनियम 111ब के पश्चात निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"111क भारत में प्रशिक्षण के दौरान अनुज्ञेयता—जब आफिसर भारत में प्रशिक्षण के लिए 180 दिन से अनधिक की कालावधि के लिए जाता है तो भत्ते के लिए उसकी पात्रता उसकी तैनाती के उस स्थान के प्रति जहां से वह प्रशिक्षण पर जाता है, निर्देश से अवधारित की जाती रहेगी। तथापि जहां प्रशिक्षण की कालावधि 180 दिन से अधिक है वहां ऐसे प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान भत्ते की पुनर्वंधता के कारण प्रशिक्षण के स्थान के प्रति, उसे उस कालावधि के दौरान तैनाती का स्थान मानते हुए, निर्देश से अवधारित की जाएगी।

11 उक्त विनियमों के विनियम 111ङ के पश्चात निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

3 अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति—वेतन का विचार किए बिना सभी अधिकारी सिविलियन सरकारी सेवकों को, जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से प्रयोग किया जाता है, लागू दरों पर और शर्तों के अधीन अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगे।

ख होस्टल संबंधी आर्थिक सहायता—ऐसे अधिकारी जो उस स्थान से, जहां वे तैनात हैं और या निवास कर रहे हैं, दूर किसी आवासिक विद्यालय के होस्टल में अपने बच्चों को रखने के लिए बाध्य हैं, होस्टल संबंधी आर्थिक सहायता के केन्द्र से सरकारी सिविलियन सेवकों को, जिनमें स्थानीय प्राक्कलन और सशाय किया जाता है, लागू दरों पर और शर्तों के अधीन हकदार होंगे।

12 उक्त विनियमों के विनियम 124 के पश्चात निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"124क. उन अधिकारियों की, जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, छुट्टी हकदारी का भुनाना—किसी अधिकारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उस वेतन और महंगाई भत्ते के समतुल्य नकद धन, जो मृत आफिसर ने, यदि वह वार्षिक/संचित छुट्टी पर गया होता, प्राप्त किया होता किन्तु अपनी मृत्यु के कारण प्राप्त नहीं कर सका जो मृत्यु की तारीख के ठीक पश्चात बरसी तारीख को देय और अनुज्ञेय है, वारिस को संदाय किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

उक्त प्रायोजक की विशिष्टता शब्द को वैसे ही परिभाषित किया जायेगा जैसा विनियम 35 में है और इसके अन्तर्गत पनडुब्बी वेतन भी होगा।

13. उक्त विनियम के विनियम 134-घ के पश्चात निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"134ङ. पात्रता—जब नौसैनिक (जिसमें आयुक्त आफिसर, एम. सी. ओ. पी. 1 और 2 तथा सी. पी. ओ. के रूप में अवैतनिक रैंक धारण करने वाले नौसैनिक भी हैं) 180 दिन से अधिक की कालावधि के लिए भारत में प्रशिक्षण पर जाते हैं, भत्ते के लिए उनकी पात्रता उनकी तैनाती के उस स्थान के प्रति, जहां से वे प्रशिक्षण पर जाते हैं अवधारित होती रहेगी। तथापि, जहां प्रशिक्षण की कालावधि 180 दिन से अधिक है, वहां ऐसे प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान भत्ते की अनुज्ञेयता प्रशिक्षण के स्थान के प्रति निर्देश से, उसे उस कालावधि के दौरान तैनाती का स्थान मानते हुए, अवधारित की जायेगी।

"134च. अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति—सभी नौसैनिक (जिनमें आयुक्त आफिसर के रूप में अवैतनिक रैंक धारण करने वाले नौसैनिक भी हैं, वेतन का विचार किए बिना, सिविल सरकारी सेवकों को, जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से संदाय किया जाता है, लागू शर्तों के अधीन और दरों पर अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगे"।

14. उक्त विनियम के विनियम 140 के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और विनियम अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

छोटी पनडुब्बी वेतन :

140क. अनुज्ञेयता और दरें—(1) छोटी पनडुब्बी कर्मीदल, जब वह छोटी पनडुब्बी कर्मीदल संख्या में हो, टिप्पण में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए पनडुब्बी चालकों को अनुज्ञेय पनडुब्बी वेतन के समतुल्य छोटी पनडुब्बी वेतन के हकदार होंगे।

टिप्पण : छोटी पनडुब्बी वेतन इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा कि छोटी पनडुब्बियों की कर्मीदल संख्या वाले नौसैनिक नौसेना समूह बीमा स्कीम के माध्यम से सभी जोखिमों के लिए कम से कम 1 लाख रुपये का अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ 150 रुपये प्रतिमास के अभिदाय पर प्राप्त कर लेते हैं। नौसेना समूह बीमा सेवा निवृत्ति/निर्मुक्ति पर उक्त बीमा स्कीम के अधीन आने वाले नौसैनिकों को "उत्तर जीविका फायदों" का संदाय करेगा, जिसकी रकम का अवधारण, समय समय पर नौसेना समूह बीमा स्कीम द्वारा किया जायगा।

15. उक्त विनियम के विनियम 154 में, (1) उप विनियम (1) "8.75" और "7.00" अंकों के स्थान पर "12.50" और "10.00 अंक क्रमशः रखे जायेंगे।

16. उक्त विनियम के विनियम 157क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"157क. होस्टल संबंधी आर्थिक सहायता—नौसैनिकों को होस्टल संबंधी आर्थिक सहायता विनियम 111छ के अधीन अधिकारियों को लागू दरों और शर्तों पर मंजूर की जायेगी"।

17. उक्त विनियमों में,—

(ii) उक्त विनियम 178क और 178ख को क्रमशः विनियम 178ख और 178ग के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

(ii) विनियम 178ख को इस प्रकार पुनः संख्यांकित किए जाने के पूर्व, निम्नलिखित विनियम को अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"178क. उड़ान प्रभार प्रमाणपत्र भत्ता—उड़ान प्रभार प्रमाणपत्र भत्ता निम्नलिखित प्रवर्गों के नौसैनिकों को प्रत्येक के सामने दर्शित दरों पर अनुज्ञेय होगा :—

(क) मास्टर मुख्य एअर आर्टिफिसर/मैकेनीशियन वर्ग I और वर्ग II तथा मुख्य एअर आर्टिफिसर/मैकेनीशियन-100 रुपये प्रतिमास,

(ख) एअर आर्टिफिसर/मैकेनिशियन, वर्ग I और वर्ग I और वर्ग III 50 रुपये प्रतिमास;

(iii) पुनः संख्यांकित रूप में विनियम 178ख में, "सतासी पैसे" शब्दों के स्थान पर "एक रुपये बीस पैसे" शब्द रखे जायेंगे,

(iv) पुनः संख्यांकित रूप में विनियम 178ग के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

178ग. बोनस की अनुज्ञेयता—(1) बोनस 4.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर, त्रैमासिक रूप में संयोजित करके, अर्थात् प्रत्येक त्रैमास के अन्त में नाविक के व्यक्तिगत चालू खाता लेखा में यथा विद्यमान जमा-अतिशेष को 50 रुपये की प्रत्येक पूर्ण राशि पर, उसमें से त्रैमास के अंतिम मास के शुद्ध वेतन और भत्ते की राशि को घटाकर, साठ पैसे प्रति त्रैमास नौसैनिक के व्यक्तिगत चालू खाता लेखा में जमा किया जाएगा। अतिशेष में 50 रुपये से कम की राशि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(2) ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो हताहत हो जाते हैं, बोनस उनसे पूर्ववर्ती त्रैमास के, जिसमें उनका लेखा अंतिम रूप से बंद किया गया है, अंतिम दिन तक जमा किया जायगा।

टिप्पण—जमा अतिशेष पर ब्याज की संगणना के प्रयोजन के लिए पुनः नियोजित पेंशनरों की पेंशन को भी, जहां उसका संदाय आई. आर. एल. ए. के माध्यम से किया जाता है, गणना में लिया जायेगा।

18. उक्त विनियमों के विनियम 180 के पश्चात निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

180क. छुट्टी हकदारी का भुनाना—नौसैनिक (जिसके अन्तर्गत शिशु और बॉय भी है) सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उस वेतन और महंगाई भत्ते के समतुल्य नगद का जो मृत व्यक्ति ने यदि वह वार्षिक संचित वार्षिक छुट्टी पर गया होता प्राप्त किया होता किन्तु अपनी मृत्यु के कारण प्राप्त नहीं कर सका, जो मृत्यु की तारीख के ठीक पश्चातवर्ती तारीख को देय और अनुज्ञेय है, वारिस को संदाय किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

इस प्रयोजन के लिए "वेतन" शब्द के अन्तर्गत मूल वेतन के अतिरिक्त निम्नलिखित होगा :

(i) अच्छा आचरण वेतन

(ii) उड़ान वेतन

(iii) पनडुब्बी वेतन।]

19. उक्त विनियमों के विनियम 183 में "पांच रुपये" शब्दों के स्थान पर "दो रुपये" शब्द रखे जायेंगे।

20. उक्त विनियमों के विनियम 191क में "7,500" और "3,000" अंकों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित अंकों को रखा जायेगा :—

"15,000/-"

"10,000/-"

"5,000/-"

21. उक्त विनियमों के विनियम 229 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(क) अधिकारी

(1) एक पोत या नियुक्ति से दूसरे को अन्तरण पर जो स्टेशन का परिवर्तन आवश्यक बनाता है—एक मास का वेतन ।

(2) जब ड्यूटी पर या प्रतिनियुक्ति पर विदेश जा रहे हों अथवा विदेश से भारत को वापस आ रहे हों—एक मास का वेतन ।

(3) वार्षिक छुट्टी या मिश्रित छुट्टी पर जाते हुए—छुट्टी के वार्षिक छुट्टी भाग के लिए वेतन ।

टिप्पण :

वेतन के अग्रिम का संदाय करने के प्रयोजन के लिए एक मास के वेतन के परिमाण का अवधारण करने में निम्नलिखित तत्वों को वेतन में जोड़ा जायेगा ।

(क) वेतन

(ख) अर्हता वेतन

(ग) किट अनुरक्षा भत्ता

(घ) उड़ान वेतन

(ङ) पनडुब्बी वेतन

(च) प्रेक्टिस-बंदी भत्ता—चिकित्सीय और वन्त संबंधी अधिकारियों की दशा में ।

स्पष्टीकरण : आफिसर, जब वे एक मास से कम की कालावधि के लिए भारत से बाहर ड्यूटी पर या प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हों, उपखंड (ii) के अधीन अग्रिम वेतन के हकदार नहीं हैं ।

22. उक्त विनियमों के विनियम 237 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"237. मंजूरी प्राधिकारी और अनुदान की वह रकम जिसे वह मंजूर कर सकते हैं—

(1) अधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग जिनको उधार अनुज्ञेय है, मंजूरी प्राधिकारी और अनुज्ञेय उधार की रकम सारणी में वर्णित की गई ।

सारणी

किसको अनुज्ञेय है (1)	मंजूरी प्राधिकारी (2)	अनुज्ञेय रकम (3)
(क) (1) नौसेना अध्यक्ष	भारत सरकार	(1) प्रथम अवसर पर 20,000 रुपये या 20 मास का वेतन या मोटरकार की कीमत, इनमें से जो भी न्यूनतम हो ।
(2) विदेशस्थ भारतीय मिशन में सेवा करने वाले आफिसर	भारत सरकार	(2) दूसरे और पश्चात्वर्ती उधार के लिए, उधार की रकम क्रय की जाने वाली मोटर कार की कीमत और पूर्ववर्ती बकाया उधार (मूल और ब्याज) के पुनः संदाय के पश्चात संबंधित सरकारी सेवा के पास की पुरानी कार के विक्रय आगम के बीच के अन्तर तक 15,000 रुपये से अनधिक की रकम या 15 मास की रकम के अधीन रहते हुए, जो भी कम हो, निर्बंधित की जा सकती है ।
(ख) फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन-चीफ, पश्चिमी कमान, फ्लैग आफिसर, कमांडिंग-इन-चीफ पूर्वी नौसेना कमान, फ्लैग आफिसर, कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान ।	नौसेना अध्यक्ष	(1) प्रथम अवसर पर 20,000 रुपये या 20 मास का वेतन या मोटर कार की कीमत, इनमें से जो भी न्यूनतम हो । (2) दूसरे और पश्चात्वर्ती उधार के लिए, उधार की रकम क्रय की जाने वाली मोटरकार की कीमत और पूर्ववर्ती बकाया उधार (मूल और ब्याज) के पुनः संदाय के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक के पास की पुरानी कार के विक्रय आगम के बीच के अन्तर तक, 15,000 रुपये से अनधिक की रकम या 15 मास की रकम के अधीन रहते हुए, जो भी कम हो, निर्बन्धित की जा सकती है ।
(ग) तट पर सेवा करने वाले सभी नौसैनिक आफिसर, जो फ्लैग आफिसर, कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन सेवारत हों ।	फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान	(1) प्रथम अवसर पर 20,000 रुपये या 20 मास का वेतन या मोटर कार की कीमत, इनमें से जो भी न्यूनतम हो । (2) दूसरे और पश्चात्वर्ती उधार के लिए, उधार की रकम क्रय की जाने वाली मोटर कार की कीमत और पूर्ववर्ती बकाया उधार (मूल और ब्याज) के पुनः संदाय के पश्चात

(1)	(2)	(3)
		संबंधित सरकारी सेवा के पास की पुरानी कार के विक्रय आगम के बीच के अन्तर तक 15,000 रुपये से अनधिक की रकम या 15 मास की रकम के अधीन रहते हुए, जो भी कम हो, निर्बन्धित की जा सकती हैं।
(घ) तट पर सेवा करने वाले सभी नौसेना आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान के अधीन हों।	फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान।	(1) प्रथम अवसर पर 20,000 रुपये या 20 मास का वेतन या मोटर कार की कीमत, इनमें से जो भी न्यूनतम हो। (2) दूसरे और पश्चातवर्ती उधार के लिए, उधार की रकम क्रय की जाने वाली मोटर कार की कीमत और पूर्ववर्ती बकाया उधार (मूल और ब्याज) के पुनः संदाय के पश्चात संबंधित सरकारी सेवा के पास की पुरानी कार के विक्रय आगम के बीच के अन्तर तक, 15,000 रुपये से अनधिक की रकम या 15 मास की रकम के अधीन रहते हुए, जो भी कम हो, निर्बन्धित की जा सकती हैं
(ङ) तट पर सेवा करने वाले सभी नौसैनिक आफिसर जो फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन हों।	फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान।	(1) प्रथम अवसर पर 20,000 रु. या 20 मास का वेतन या मोटरकार की कीमत, इनमें से जो भी न्यूनतम हो। (2) दूसरे और पश्चातवर्ती उधार के लिए, उधार की रकम क्रय की जाने वाली मोटर कार की कीमत और पूर्ववर्ती बकाया उधार (मूल और ब्याज) के पुनः संदाय के पश्चात संबंधित सरकारी सेवा के पास की पुरानी कार के विक्रय आगम के बीच के अन्तर तक, 15,000 रुपये से अनधिक की रकम या 15 मास की रकम के अधीन रहते हुए, जो भी कम हो, निर्बन्धित की जा सकती है।
(च) इनस्ट्रक्शनल स्टाफ और स्टूडेंट आफिसर, रक्षा सेवा स्टाफ कालेज, वेलिंगटन।	कमांडेंट, रक्षा सेवा स्टाफ कालेज, वेलिंगटन।	(1) प्रथम अवसर पर 20,000 रुपये या 20 मास का वेतन या मोटरकार की कीमत, इनमें से जो भी न्यूनतम हो। (2) दूसरे और पश्चातवर्ती उधार के लिए, उधार की रकम क्रय की जाने वाली मोटर कार की कीमत और पूर्ववर्ती बकाया उधार (मूल और ब्याज) के पुनः संदाय के पश्चात संबंधित सरकारी सेवा के पास की पुरानी कार के विक्रय आगम के बीच के अन्तर तक, 15,000 रुपये से अनधिक की रकम या 15 मास की रकम के अधीन रहते हुए, जो भी कम हो, निर्बन्धित की जा सकती है।
(छ) स्टाफ और स्टूडेंट आफिसर, जिन्हें वेतन रक्षा सेवा प्राक्कलन, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली से दिया जाता है।	कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली।	(1) प्रथम अवसर पर 20,000 रुपये या 20 मास का वेतन या मोटर कार की कीमत, इनमें से जो भी न्यूनतम हो। (2) दूसरे और पश्चातवर्ती उधार की रकम क्रय की जाने वाली मोटरकार की कीमत और पूर्ववर्ती बकाया उधार (मूल और ब्याज) के पुनः संदाय के पश्चात संबंधित सरकारी सेवा के पास की पुरानी कार के विक्रय आगम के बीच के अंतर तक, 15,000 रुपए से अनधिक की रकम या 15 मास की रकम के अधीन रहते हुए जो भी कम हो, निर्बन्धित की जा सकती है।

(1)	(2)	(3)
(ज) सभी नौसैनिक आफिसर, जो नौसेना परियोजना, विशाखापत्तनम में सेवारत हों।	महानिदेशक, नौसेना परियोजना, विशाखापत्तनम।	(1) प्रथम अवसर पर 20,000 रु. या 20 मास का वेतन या मोटरकार की कीमत, इनमें से जो भी न्यूनतम हो। (2) दूसरे और पश्चात्वर्ती उधार के लिए, उधार की रकम क्रय की जाने वाली मोटरकार की कीमत और पूर्ववर्ती बकाया उधार (मूल और ब्याज) के पुनः संदाय के पश्चात संबंधित सरकारी सेवा के पास की पुरानी कार के विक्रय आगम के बीच के अन्तर तक, 15,000 रुपए से अनधिक की रकम या 15 मास की रकम के अधीन रहते हुए, जो भी कम हो, निर्बन्धित की जा सकती है।

परन्तु यह कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 26 अक्तूबर, 1962 को घोषित आपात स्थिति के बने रहने के दौरान मोटर कार के क्रय के लिए अधिकतम अग्रिम 12,000 रुपये तक या सरकारी सेवक के बारह मास के वेतन अथवा मोटर कार की प्रत्याशित कीमत तक, जो भी कम से कम हो, सीमित होगा। इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम की रकम 60 मासिक किस्तों से अनधिक में वसूलीय होगी।

(2) इस विनियम के अधीन मोटर कार के क्रय के लिए उधार मंजूर करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी अपने विवेक से उधार मांगने वाले आफिसर द्वारा धारित कार्यकारी रैंक या उस समय की नियुक्ति के आधार पर ऐसा उधार मंजूर कर सकेगा परन्तु यह तब अवकि—

(क) ऐसे आफिसर ने लगातार 6 मास तक कार्यकारी रैंक या नियुक्ति धारित की हो और यह संभावना न हो कि उसको काफी नीचे के रैंक में प्रतिवर्तित किया जा सकेगा जिससे कि उस के लिए मूल रूप से नियत की गई नियमित मासिक किस्तों में रकम का पुनः संदाय करना कठिन होगा, और

(ख) ऐसे मामले में यह स्पष्ट कर दिया गया हो कि प्रतिमास वसूलीय रकम की कमी के लिए हेतुक के रूप में नीचे के रैंक या नियुक्ति में प्रतिवर्तन के परिणामस्वरूप कठिनता के किसी अभिवाक को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ग) उक्त मद (क) (ii) में निर्दिष्ट आफिसर के लिए उधार की मंजूरी इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उधार के लिए आवेदन आफिस द्वारा विदेशस्थ स्टेशन में उसके पहुंचने के 12 मास के भीतर किया गया है।'

23. उक्त विनियमों के विनियम 239 के उप विनियम (2) में "दो मास" शब्दों के स्थान पर, "चार मास" शब्द रखे जायेंगे।

24. उक्त विनियमों के विनियम 244 के खण्ड (क) में "1/80" अंकों के स्थान पर "पहले अवसर के लिए 1/100 भाग और दूसरे अवसर के लिए 1/75 भाग" शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

25. उक्त विनियमों के विनियम 246 और 246-क का लोप किया जायेगा।

26. उक्त विनियमों के विनियम 247 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"247. अनुज्ञेयता की शर्तें—मोटर कारों के प्रयोजन के लिए किसी उधार के संबंध में इन विनियमों के अधिकथित सेवा शर्तों, अन्य बातों के साथ साथ मोटर साइकिल, स्कूटरों, स्कूट्रेटों और आटो साइकिलों के क्रय के लिए लागू होंगी।"

27. उक्त विनियमों के विनियम 248 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"248. मंजूरी प्राधिकारी—ऐसे व्यक्ति, जिन्हें मोटर साइकिलों, स्कूटरों, स्कूट्रेटों और आटो साइकिलों के क्रय के लिए उधार अनुज्ञेय हैं और वे प्राधिकारी जो उन्हें मंजूर करने के सशक्त हैं, नीचे सारणी में दिये गये हैं :—

सारणी

किसे अनुज्ञेय है	मंजूरी प्राधिकारी
(क) नौसेना मुख्यालय में सेवा करने वाले व्यक्ति।	
(1) सभी नौसैनिक आफिसर (2) सभी सिविलियन आफिसर (3) सभी नौसैनिक जो एल. एस. तथा उससे ऊपर के रैंक के हों, जिनका मूल वेतन 500 रुपये प्रतिमास से अधिक हो। (4) सभी सिविलियन अधीनस्थ जिनका मूल वेतन 500 रुपये प्रतिमास से अधिक हो।	नौसेना अध्यक्ष
(ख) नौसैनिक मुख्यालय से बाहर तटीय स्थापनाओं में सेवा करने वाले सभी व्यक्ति।	
(1) सभी नौसैनिक आफिसर (2) सभी सिविलियन आफिसर	अपने अपने प्रशासनिक अधिकारी अर्थात् फ्लैग आफिसर कमा-

(3) सभी नौसैनिक जो एल.एस. और उससे ऊपर के रैंक के हों, जिनका मूल वेतन 500 रुपये प्रतिमास से अधिक हों। (4) सभी सिविलियन अधीनस्थ जिनका मूल वेतन 500 रुपये प्रतिमास से अधिक हों।	इंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान और दक्षिणी नौसेना कमान।
(ग) इन्सट्रक्शनल स्टाफ और स्टूडेंट आफिसर तथा एल.एस. तथा उससे ऊपर के रैंक के अन्य नौसेना कार्मिक, जिनका मूल वेतन 500 रुपये प्रतिमास से अधिक हो।	कमांडेंट, सेना कार्यालय, रक्षा कालेज, वेलिंगटन।
(घ) राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली के कर्मचारीवृन्द और विद्यार्थी आफिसर। जिनका मूल वेतन 500 रुपये प्रतिमास से अधिक हो।	कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली।
(ङ) नौसेना आफिसर और अन्य नौसेना कार्मिक जो एल.एस. तथा उससे ऊपर के रैंक के हों, जिनका मूल वेतन 500 रुपये प्रतिमास से अधिक हो।	महानिदेशक, नौसेना परियोजना, विशाखापत्तनम।
मोपेड	
(च) (1) वे व्यक्ति, जो मोटर साइकिल, स्कूटर उधार की मंजूरी के लिए पात्र हैं।	(1) नौसेना मुख्यालय में सेवारत व्यक्तियों की दशा में नौसेना अध्यक्ष।
(2) सभी नौसैनिक जो एल.एस. तथा उससे ऊपर के रैंक के हों, जिनका मूल वेतन 500 रुपये प्रतिमास से कम हो, उनको छोड़कर जो फील्ड रियायती क्षेत्रों में सेवा कर रहे हों इस मामले में उधार का परिणाम केवल 1500 रुपये होगा, जो 60 मासिक किस्तों में वसूलीय होगा।	(2) अपने-अपने प्रशासनिक अधिकारी अर्थात् अपनी-अपनी कमांड के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों की दशा में फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान और दक्षिणी नौसेना कमान।
	(3) कमांडेंट, रक्षा सेवा स्टाफ कालेज, वेलिंगटन।
	(4) राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली में सेवा करने वाले व्यक्तियों की दशा में कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली।
	(4) नौसेना परियोजना, विशाखापत्तनम में सेवा करने वाले व्यक्तियों की दशा में महानिदेशक, नौसेना परियोजना, विशाखापत्तनम।

28. उक्त विनियमों के विनियम 248 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अंतः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"248क. अग्रिम की मात्रा—(1) प्रथम अवसर पर अधिकतम अनुज्ञेय रकम 3500 रुपये या व्यक्ति का दस मास का वेतन या वाहन का पूर्वानुमानित मूल्य, इनमें से जो भी सब से कम हो।

(2) द्वितीय पश्चातवर्ती अवसर पर—अग्रिम की वह मात्रा जो द्वितीय या पश्चातवर्ती अवसरों पर मंजूर की जा सकेगी, क्रय किए जाने वाले वाहन के मूल्य और पूर्वतर बकाया अग्रिम (जिसमें अंतर्गत ब्याज है), यदि कोई है, के प्रतिदाय के पश्चात व्यक्ति के पास शेष विक्रय आगम के अंतर के समतुल्य होगी किन्तु इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम की रकम 2750 रुपये या आठ मास के वेतन से, जो भी सब से कम हो, अधिक नहीं होगी।"

29. उक्त नियमों के नियम 249 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"249क. अग्रिम की वसूली—(1) स्थायी नियुक्ति पर सेवारत अफसरों से—वसूली सत्तर किश्तों में की जाएगी। तथापि, उस अफसर से जो उसके द्वारा अग्रिम लिए जाने के पश्चात वेतन के प्रथम सदाय से छह वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाला है अग्रिम की वसूली उतनी किश्तों में की जाएगी जिससे कि अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली अफसर की सेवा निवृत से पूर्व उसे दिए जाने वाले अंतिम वेतन के समय पूरी हो जाए।

(2) अस्थायी नियुक्ति पर सेवारत अफसर से—अग्रिम तीन वर्ष के भीतर या उनकी नियुक्ति के पर्यवसान की तारीख से पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, वसूल किया जाएगा"।

30. उक्त नियमों के विनियम 274 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अंतः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"275. अवैतनिक आयुक्त आफसरों के जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है, छुट्टी हकदारी का भुनाया जाना—किसी अवैतनिक आयुक्त आफिसर की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में, उस वेतन और महंगाई भत्ते के समतुल्य नकद राशि जो मृत आफिसर को, यदि वह मृत्यु की तारीख के ठीक पश्चात की तारीख को शोध्य और अनुज्ञेय वार्षिक/संचित वार्षिक छुट्टी पर, यदि उसकी न हुई होती, त जाने की दशा में प्राप्त करता, उसके वारिसों को संदत्त की जाएगी।

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त प्रयोजन के लिए "वेतन" पद से विनियम 35 में यथापरिभाषित वेतन अभिप्रेत होगा और उसके अंतर्गत पारुद्धी वेतन भी होगा।"

31. उक्त विनियमों के परिशिष्ट 1 में, खंड (2) के उपखंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"सेना चिकित्सा कोर की महिला चिकित्सा अधिकारियों की दशा में, नौसेना में अनुमोदित किए जाने पर, 1000 रुपये का आरंभिक परिधान भत्ता मंजूर किया जायगा। अनुमोदन की तारीख से सात वर्ष की प्रभावी सेवा के पश्चात, वह 800 रुपये के नवीकरण परिधान-भत्ता की मंजूरी की, उन्हीं निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नौसेना के अन्य चिकित्सा अधिकारियों को लागू हैं, पात्र होंगी।"

32. उक्त विनियमों के परिशिष्ट 8 के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :—

परिशिष्ट 8

(विनियम 86 और 87 देखिए)

अनुभाग 1—वे अर्हताएं जो आफिसर को 100 रुपये प्रतिमास के उच्चतर अर्हता वेतन का हकदार बनाती हैं :

1. अर्हित उड़ान अनुदेशक प्रवर्ग क-2

2. अर्हित नौचालन अनुदेशक प्रवर्ग क-2

3. विमानचालक जो मास्टर ग्रीन कार्ड के धारक हैं।

अनुभाग 2--वे अर्हताएं जो आफिसर को 125 रुपये प्रतिमास के उच्चतर अर्हता वेतन का हकदार बनाती हैं :--

1. अर्हित उड़ान अनुदेशक प्रवर्ग क-1

2. अर्हित नौचालन अनुदेशक प्रवर्ग क-1

अनुभाग 3--वे अर्हताएं जो आफिसर को 70 रुपये प्रतिमास के निम्नतर अर्हित वेतन का हकदार बनाती :--

1. अर्हित उड़ान अनुदेशक प्रवर्ग 'ख'

2. अर्हित नौचालन यअनुदेशक प्रवर्ग 'ख'

3. विमानचालक जो ग्रीन कार्ड के धारक हैं।

टिप्पण--अनुभाग 1, 2 और 3 में दर्शित अर्हताओं के लिए अर्हता वेतन इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा कि वे स्वयं को सेवा के हित में अर्हता की अपेक्षित स्थिति में निम्नतर बनाए रखते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अर्हता बनाए रखी है उनका कालिक परीक्षण किया जाता है।

अनुभाग 4--वे अर्हताएं जो आफिसर को 6000 रुपये एक मुश्त के उच्चतर अर्हता अनुदान का हकदार बनाती हैं :--

1. पी.एम.सी.

2. पी.टी.एस.सी.

3. इंस्टीट्यूट आफ मेरीन इंजीनियर्स (लन्दन) का फैलो या सदस्य, यदि अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्राप्त की गई है।

4. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (भारत) का सदस्य या सहयुक्त सदस्य यदि अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्राप्त की गई है।

5. रायल एरोनाटिकल सोसायटी, यू.के./ऐरोनाटिकल सोसायटी (भारत) का सदस्य या सहयुक्त सदस्यता, यदि अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्राप्त की गई है।

6. दूर गनरी पाठ्यक्रम (जी)

7. दूर नौचालन तथा निर्देशन पाठ्यक्रम (एन डी)

8. दूर तारीपीडो पनडुब्बी शोध पाठ्यक्रम (टी ए एस)

9. दूर संचार पाठ्यक्रम (सी)

10. इंस्टीट्यूट आफ टेलीकम्यूनिकेशन्स इंजीनियर्स (भारत) जो अब इंस्टीट्यूशन आफ इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन्स इंजीनियर्स के नाम से ज्ञात है, की सदस्यता या सहयुक्त सदस्यता, यदि वह उस संस्थान द्वारा आयोजित स्नातक परीक्षा, उत्तीर्ण करने के पश्चात, भौतिक/अनुप्रयुक्त भौतिकी, संचार (बेतार) में डी एस सी/पी एच डी के पश्चात प्राप्त की गई है।

11. भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी, संचार (बेतार)/गणित, इंजीनियरी और धातुकी में डी.एस सी/पी एच डी।

12. उच्चतर मौसम विज्ञान पाठ्यक्रम।

13. फाइटर कम्बेट पाठ्यक्रम।

14. परीक्षण विमानचालक पाठ्यक्रम।

15. दूर जलसर्वेक्षकीय विशेषज्ञ पाठ्यक्रम।

16. दीर्घकालिक सैन्य संचालन तथा प्रबंध (एल एम सी) पाठ्यक्रम।

अनुभाग 5--वे अर्हताएं जो आफिसर को 4500 रुपये एकमुश्त को निम्नतर अर्हता अनुदान का हकदार बनाती हैं :--

1. इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (भारत) की सहयुक्त सदस्य परीक्षा के भाग 'क' और 'ख' में उत्तीर्णता या ऐसी कोई इंजीनियरी डिग्री या अर्हता जिसे उक्त संस्थान अपनी सहयुक्त सदस्यता परीक्षा के अनुभाग 'क' और 'ख' से छूट के लिए मान्यता प्रदान करता है (ऐसे आफिसरों के लिए जो कमीशन प्राप्त करने के समय इंजीनियरी में स्नातक नहीं हैं)

2. वायु इंजीनियरी (क/ख) संपरिवर्तन पाठ्यक्रम।

3. शिक्षा में मास्टर की डिग्री।

4. जी.टी.एस. तंबरम, संख्या 2 में विशेषज्ञ फोटो आफिसर पाठ्यक्रम

5. वायु युद्ध अनुदेशक पाठ्यक्रम।

6. विमानचालक अग्रिम अनुदेशक पाठ्यक्रम (उन आफिसरों के लिए जो भारत में भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं)।

7. उच्चतर/माध्यमिक/स्टाफ नौचालन पाठ्यक्रम।

टिप्पण--वे अधिकारी जिन्होंने एस एस ए सी में अर्हता प्राप्त कर ली है और 1 दिसम्बर, 1980 से पूर्व अर्हता अनुदान का दावा नहीं किया है 4500 रुपये के अर्हता अनुदान करने रखा करने के हकदार होंगे।

अनुभाग 6--वे अर्हताएं जो आफिसर को 2400 रुपये एकमुश्त अर्हता अनुदान का हकदार बनाती है :--

बार एटला, एलएल बी, बी एल या विधि में कोई समतुल्य या उच्चतर डिग्री।

अनुभाग 7--अर्हता जो आफिसर को 1600 रुपये के एक मुश्त अर्हता अनुदान का हकदार बनाती हैं :--

वैमानिक निरीक्षण सेवा पाठ्यक्रम।

पाद टिप्पण :--मूल विनियम भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 4 तारीख 5 जनवरी, 1966 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सी ए स आर 1-ई तारीख 5 जनवरी, 1966 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चतावर्ती उन्हें निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:

(1) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सी एस आर 9 ई तारीख 19 मार्च, 1974, जो भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 4 के पृष्ठ 1 से लेकर 124 तक पर प्रकाशित की गई थी।

(2) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सी एस आर 19ई तारीख 23 अक्तूबर, 1986, जो भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 4 आधारण में प्रकाशित की गई थी।

[मिसिल संख्या पी सी टू एम एफ/पी ए-1402/III]

अरविंद कौल संयुक्त सचिव
(पी एण्ड डब्ल्यू.)

New Delhi, the 9th May, 1989

S.R.O. 132.—In exercise of powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966, namely :

1. (i) These regulations may be called the Navy (Pay and Allowances) (Amendment) Regulations, 1988.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966 (hereinafter referred to as the said regulations) for clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 23, the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) At half the rates in other cases except the officers of the Naval Air Squadron whilst embarked on board INS Vikrant".

3. After regulation 29 of th said regulations, the following heading and regulation shall be inserted, namely :—

"CHARIOT PAY"

29-A Admissibility and rates—(1) Chariot crew whilst borne against the chariot strength are entitled to chariot pay equivalent to the sub-marine pay admissible to submariners subject to the conditions laid down in note.

(2) Chariot pay shall be treated as pay for all purposes.

Note: Chariot pay equivalent to submarine pay is admissible subject to the condition that officers borne against the chariot strength obtain additional life insurance cover through Naval Group Insurance Scheme against all risks for an amount of Rs. 2 lakhs on payment of a contribution of Rs. 234/- per month. The Naval Group Insurance Scheme will pay survival benefits to officers covered under the above insurance scheme on retirement/release, the amount of which shall be determined by the Naval Group Insurance Scheme from time to time.

4. For sub-regulation (1) of regulation 31 of the said regulations, the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

"(1) The dearness allowance may be drawn during any period of leave other than (i) leave without pay and allowances in or outside India (ii) any portion of leave pending retirement spent outside India, except that in case of leave pending retirement in India, it shall be admissible only during the first 180 days."

5. For regulation 36 of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely :—

"36. Rounding off the monthly rate — The amount of dearness allowance for a month arrived at on actual calculation shall be rounded off to the nearest 10 paise. For this purpose, the portion not below 5½ paise shall be rounded off to 10 paise and that below 5½ paise shall be ignored."

6. In regulation 48 of the said regulations, for the brackets, figures and words "(1) to (8) of regulation 148", the following brackets, figures and words shall be substituted namely : —

"(1) to (9) of regulation 148".

7. For regulation 60 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"60. Classification of ships for full and half rates—

(1) The classes of ships service on which qualifies for hardlying money at "full rates" are as follows :—

(a) Minesweepers:—

(i) Motor Minesweepers.
(ii) Inshore Minesweepers.
(iii) Coastal Minesweepers: Bedi Bhavanagar.
(iv) Pondicherry.
(v) Porbandar.
(vi) Allepey.
(vii) Ratnagiri.
(viii) INS DBT-55
(ix) Malvan.
(x) Mangrol.
(xi) Mahe.
(xii) Malse.
(xiii) Mulki.
(xiv) Magdala.
(xv) IN clul-35.
(xvi) INS Makar.

(b) Salvage vessel and Occan-going Tug—

(c) Landing Craft-- Major and Minor Landing Craft and Landing Berges:—

L-31, L-32, INCLU-33, INCLU-34.

(d) Small Craft :—

(i) Trawlers and Craft on Mine-sweepers and Anti-Submarine Work.
(ii) Examination Vessels.
(iii) Motor Torpedo Boats.
(iv) Motor Gunnery Boats.
(v) Seaward Petrol Craft.
(vi) Sea going Lanches.

(e) Sub-marines : KALVARI, KHANDERI, KARANAJ, KURSURA, NISTAR, VELA, VAGIR, VAGLI, VAGHSHEER.

(f) Missile Boats : VINASH, NIRGHAT, VIDYUT, NIRBHIK, VIJETA, NASHAK, VEER, NIPAT, PRATAP, PRALAYA, PRABAL, PARCHAND, CHAPAL, CHAMAK, CHARAG, CHATAK, VIJAYDURG, SINDHUDURG, HOSDURG,

(g) Sea-wards Defence Boats : T-52, T-53, INSDB-51, INSDV-54.

(h) Torpedo Recovery Vessels : IN TRV A-71, IN TRV A-72.

8. For regulation 87 of the said regulations, the folllwing regulations shall be substituted, namely :—

"87. Rates—(a) The qualification pay shall be admissible to the officers as follows:—

(i) Higher rates of qualification pay : Those possessing the qualifications listed in Section II of Appendix-VIII. — Rs. 125/- p.m.

(ii) Those possessing the qualifications listed in Section I of Appendix-VIII Rs. 100/- p.m.

(iii) Lower rate of qualification Pay :

Those possessing the qualifications listed in Section III of Appendix-VIII —Rs. 70/- p.m.

(b) A lump-sum quaification grant shall be admissible to the officers as follows:—

(i) Those possessing the quaifications listed in Section IV of Appendix-VIII —Rs. 6000/-

(ii) Those possessing the qualifications listed in Section V of Appendix-VIII Rs. 4500/-

(iii) Those possessing the qualifications listed in Section VI of Appendix-VIII Rs. 2400/-

(iv) Those possessing the qualifications listed in Section VII of Appendix-VIII Rs. 1600/-

NOTE 1. The officers who were already in receipt of qualification pay (including those who were eligible for it but did not receive the said pay on or before the 31st March, 1975, shall be allowed to draw the qualification pay for a period of 10 years from the date of commencement of drawal of qualification

pay subject to the condition in Note 2, or till they become ineligible for it due to promotion or otherwise, whichever is earlier.

NOTE 2. After the period of 10 years referred to in Note 1 has expired, the qualification pay hall be treated as personal pay and shall be absorbed against allowance due, if any, from or after the 1st March, 1976.

NOTE 3. In the case of officers who were initially granted qualification pay at the lower rate and who were later on granted qualifiction pay at the higher rate, the period of 10 years shall count from the date they began to draw the latter rate.

NOTE 4. In the case of Officers who were eligible for higher or lower rates of qualification grants on possession of the qualifications under the existing orders but did not receive the same on or before the 31st March, 1975 shall be allowed to draw the same at the rates of Rs. 2,400/- and Rs. 1,600 for higher and lower qualifications, respectively.

NOTE 5. With effect from the 1st April, 1975, an officer who first acquired a lower qualification and later on a higher qualification, shall be entitled to the difference between the two grants on acquisition of the latter qualification".

9. In regulation 89, of the said regulations—

(i) to clause (b) the following word shall be added, namely:—

"or"

(ii) after clause (b) the following clause shall be inserted, namely :—

"(c) any qualification by merely getting membership of societies or associations by merely paying subscription or by efflux of time."

10. After regulation 104, of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :—

"104. A. Test Pilot Allowance to Naval Aviation Officers.—Test Pilot Allowance of Rs. 250/- per month shall beadmissible to the qualified Test Pilots of the Navy, while they are on posted strength, posted supernumerary or on attachment to any unit for carrying ou t test flying duties in the Navy so long as the sanctioned establishment of Test Pilots is not exceeded.

The Test Pilot Allowance shall be treated as an allowance and not as a part of pay at any time and shall continue to be admissible to Test Pilots during the period of their annual leave and also during the period of temporary duty/attachment, provided the period of such temporary duty/attachment does not exceed three months and that they are likely to resume test flying duties after completion of temporary duty/attachment. Test Pilot allowance shall also be admissible during the period of courses of instructions provided they come back to the test flying duties on completion of the course. In case a Test pilot seeks premature retirement, he shall draw test pilot allowance for the period equivalent to his entitlement of annual leave alone, if due, during leave pending retirement."

11. After regulation 111D of the said regulations the following regulation shall be inserted namely :—

"111E. Admissibility during training in India :—

When officers proceed on training in India, for a period not exceeding 180 days, their eligibility to the allowance shall continue to be determined with deference to their place of posting from where they proceed on training. Where, however, the period of training exceeds 180 days the admissibility to the allowance during the period of such training shall be determined with reference to the place of training treating it as their place of posting during that period."

12. After regulation 111 E, of the said regulations the following regulations shall be inserted, namely :—

"111 F. Re-imbursement of tution fee—All officers irrespective of the pay, shall receive re-imbursement of tuition fee at the rates and under the conditions applicable to civilian Government servants paid from the Defence Services Estimates."

"111. G. Hostel Subsidy — Officers, who on account of their transfer are obliged to keep their children in the hostel of a residential school away from the station at which they are posted and/or are residing, shall be entitled to hostel subsidy at the rates and under the conditions as applicable to Central Government Civilians servants paid from the Defence Service Estimates".

13. After regulation 124 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :—

"124. A. Encashment of leave entitlement of Officers who die while in service—In the event of death of an officer while in service, the cash equivalent of pay and dearness allowance that the deceased officer would have got, had he gone on annual/accumulated leave, but for his death, due and admissible, on the date immediately following the date of death, shall be paid to the heirs. Explanation — The term 'Pay' for the above purpose shall be as defined in regulation 35 and shall also include submarine pay".

14. After regulation 134 D of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :—

"134E. Eligibility — When sailors (including those hold ing honorary rank as commissioned officers, MCPOs I and II and CPOs) proceed on training in India for a period not exceeding 180 days, their eligibility to the allowance shall continue to be determined with reference to their place of posting from where they proceed on training. Where, however, the period of training exceeds 180 days, the admissibility to the allowance during the period of such training shall be determined with reference to the place of training treating it as their place of posting during that period.

134.F. Re-imbursement of tuition fee — All sailors (including those holding honorary rank as commissioned officer), irrespective of the Pay, shall receive re-imbursement of tuition fees at the rates and under the conditions applicable to civilian Government servants paid from the Defence Services Estimates".

15. After regulation 140 of the said regulations, the following heading and regulation shall be inserted, namely :—

CHARIOT PAY

"140. A. Admissibility and rates — (1) Cariot Crew whilst borne against the chariot strength shall be entitled to chariot pay equivalent to the submarine pay admiss-

ble to Submariners subject to the conditions laid down in note.

(2) Chariot Pay will be treated as pay for all purposes.

NOTE —Chariot Pay shall be admissible subject to the condition that sailors borne against the chariot strength obtain additional life insurance cover through Naval Group Insurance Scheme against all risks for a minimum of Rupees one lakh, on payment of monthly contribution of rupees one hundred and fifty per month. The Naval Insurance Group will pay 'Survival Benefits' to sailors covered under the above Insurance Scheme on retirement/release, the amount of which will be determined by the Naval Group Insurance Scheme from time to time".

15. In regulation 154 of the said regulations (i) in sub-regulation (1), for the figures "8.75" and "7.00", the figures "12.50" and "10.00" shall respectively be substituted : (ii) in sub-regulation (2) for the figures "8.75", the figures "10.00" shall be substituted.

16. For regulation 157–A of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"157-A. Hostel Subsidy. –Hostel subsidy to sailors be granted at the rates and under the conditions applicable to officers under regulation 111-G."

17. In the said regulations.—

(i) regulations 178A and 178B shall be re-numbered as regulations 178B and 178C respectively; and

(ii) before regulation 178B so re-numbered, the following regulation shall be inserted, namely:—

"178A. Flight Charge Certificte Allowance — Flight Charge Certificate Allowance shall be admissible to the following categories of sailors holding the flight charge certificate at the rates indicated against each: –

(a) Master Chief Air Artificers/Mechanicians Class I and Class II and Chief Air Artificers/Mechanicians Rs. 100/- per month :

(b) Air Artificers/Mechanicians Class I, Class II and Class III - R.s. 50/- per month";

(iii) in regulation 178B, as re-numbered, for the words "Eighty-seven paise", the words rupee one and paise twenty shall be substituted;

(v) for regulation 178C, as re-numbered, the following regulation shall be substituted, namely :—

"178C. Admissibility of bonus : (1) Bonus shall be credited to IRLAS of the sailos at the rate of 4.8% per annum, compounded quarterly, that is 60 paise per quarter of each complete sum of Rs. 50/- of the credit balance in the IRLA as it stood at the end of each quarter less thenet pay and allowances for the last month of the quarter. Sums less than Rs. 50/- in the balance shall be disregarded.

(2) In the case of individuals who become casualities, bonus shall be credited upto the last day of the quarter preceding that in which their account has been finally closed.

NOTE : For the purpose of calculation of interest on credit balance, pension of re-employed pensioners where paid through IRLSAs shall also be taken into account".

18. After regulation 180 of the said regulations the following regulation shall be inserted, namely :—

180A - Encashment of leave entitlement.—In the event of death, while in service, the sailors (including Apprentices and Boys) the cash equivalent of pay and dearness allowance that the deceased individual would have got had be gone on annual/accumulated annual leave but for his death, due and admissible, on the date immediately following the date of death, shall be paid to the heir.

Explanation –The term 'Pay' for this purpose shall in addition to basic pay include : —

(i) Good Conduct Pay.

(ii) Flying Pay.

(iii) Submarine Pay.

19. In regulation 188, of ne said regulations, for the words "five rupees", the words "one hundred rupees" shall be substituted.

20. In regulation 191A, the said regulations, for the figures "7,500" and "3,000" the following figures shall respectively be substituted namely : -

"15,000/–"

"10,000/–"

"5,000/–".

21. In regulation 229, of the said regulations for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

"(a) Officers

(i) on transfer from one ship or appointment to another necessitating change of station one month's pay.

(ii) when proceeding abroad on duty or on deputation or returning to India from abroad—one month's pay.

(iii) when proceeding on annual leave or combined leave pay for the annual leave portion of the leave.

NOTE : In determining the quantumm of one month's pay for the purpose of payment of advance of pay, the following elements shall be included in pay :-

(a) Pay

(b) Qualification Pay.

(c) Kit-Maintenance Allowance.

(d) Flying pay.

(e) Submrarine pay.

(f) Non-practising allowance- in the case of Medical and Dental Officers.

Explanation : Officers when proceeding on duty or deputation outside India for a period of less than one month are not entitled to advance of pay under sub clause (ii)."

22. For regulation 237 ofthe said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"237. Sanctioning authorities and the amount of grant that they can sanction—(1) The categories of officers to whom the advances are admissible, the sanctioning authorities and amounts of advance admissible are discribed in the table below :

To whom admissible	Sanctioning authority	Amounts admissible
(1)	(2)	(3)
(a) (i) Chief of the Naval Staff	Government of India.	(i) On first occasion Rs. 20,000/- or 20 month's pay or the price of the motor car, whichever is the least.
(ii) Officers serving with Indian Missions abroad.	Government of India.	(ii) For second and subsequent advance, the amount of advance may be restricted to the difference between the price of the motor car to be purchased and the sale proceeds of the old car left with the Government servant concerned after repayment of the earlier outstanding advance (principal as well as interest) subject to the amount not exceeding Rs. 15,000 or 15 month's pay whichever is less.
(b) Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command. Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command. All Naval Officers (other than Chief of the Naval Staff)	Chief of the Naval Staff	(i) On first occasion Rs. 20,000 or 20 month's pay or the price of the motor car, whichever is the least. (ii) For second and subsequent advance, the amount of advance may be restricted to the difference between the price of the motor car to be purchased and the sale proceeds of the old car left with the Government servant concerned after repayment of the earlier outstanding advance (principal as well as interest) subject to the amount not exceeding Rs. 15,000 or 15 month's pay whichever is less.
(c) All Naval officers serving ashore under the Flag Officer, Commanding-in-Chief, Western Naval Command.	Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command	(i) On first occasion Rs. 20,000/- for 20 month's pay or the price of the motor car, whichever is the least. (ii) For second and subsequent advance, the amount of advance may be restricted to the difference between the price of the motor car to be purchased and the sale proceeds of the old car left with the Government servant concerned after repayment of the earlier outstanding advance (principal as well as interest) subject to the amount not exceeding Rs. 15000/- or 15 month's pay whichever is less.
(d) All Naval officers serving ashore under the Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command.	Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command.	(i) On first occasion Rs. 20,000 or 20 month's pay or the price of the motor car, whichever is the least. (ii) For second and subsequent advance, the amount of advance may be restricted to the difference between the price of the motor car to be purchased and the sale proceed of the old car left with the Government servant concerned after repayment of the earlier outstanding advance (principal as well as interest) subject to the amount not exceeding Rs. 15,000 or 15 month's pay whichever is less.
(e) All Naval Officers serving ashore under Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command.	Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command	(i) On first occasion Rs. 20,000 or 20 month's pay or the price of the motor car, whichever is the less. (ii) For second and subsequent advance, the amount of advance may be restricted to the difference between the price of the motor car to be purchased and the sale proceeds of the old car left with the Government servant concerned after repayment of the earlier outstanding advance (principal as well as interest) subject to the amount not exceeding Rs. 15,000 or 15 month's pay whichever is less.

(1)	(2)	(3)
(f) Instructional Staff and Student Officers, Defence Services Staff College, Wellington.	Commandant, Defence Services Staff College, Wellington.	(i) On first occasion Rs. 20,000/- or 20 month's pay or the price of the motor car, whichever is the least. (ii) For second and subsequent advance, the amount of advance may be restricted to the difference between the price of the motor car to be purchased and the sale proceeds of the old car left with the Government servant concerned after repayment of the earlier outstanding advance (principal as well as interest) subject to the amount not exceeding Rs. 15,000 or 15 month's pay whichever is less.
(g) Staff and Student officers, paid from Defence Services Estimates, National Defence College, New Delhi.	Commandant, National Defence College, New Delhi.	(i) On first occasion Rs. 20,000 or 20 month's pay or the price of the motor car, whichever, is the least. (ii) For second and subsequent advance, the amount of advance may be restricted to the difference between the price of the motor car to be purchased and the sale proceeds of the old car left with the Government servant concerned after repayment of the earlier outstanding advance (principal as well as interest) subject to the amount not exceeding Rs. 15,000/- or 15 month's pay whichever is less.
(h) All Naval Officers serving in Naval Project, Visakhapatnam.	Director General, Naval Project Visakhapatnam.	(i) On first occasion Rs. 20,000 or 20 month's pay or the price of the motor car, whichever is the least. (ii) For second and subsequent advance, the amount of advance may be restricted to the difference between the price of the motor car to be purchased and the sale proceeds of the old car left with the Government servant concerned after repayment of the earlier outstanding advance (principal as well as interest) subject to the amount not exceeding Rs. 15,000 or 15 month's pay whichever is less. Provided that during the continuance of the emergency declared on 26th October, 1962 under article 352 of the Constitution, the maximum advance for the purchase of motor car shall be restricted to Rs. 12,000 or 12 month's pay of the Government servant or the anticipated price of the motor car, whichever is the least. The amount of the advance thus granted shall be recoverable in not more than 60 monthly instalments. (2) The authority authorised to sanction an advance for the purchase of a motor car under this regulation may at its discretion grant such advance on the basis of the acting rank or appointment for the time being held by the officer seeking the advance provided that-- (a) such officer has held the acting rank or appointment for 6 months continuously and he is not likely to revert to a rank too low so that it is difficult or him to reply the amount in regular monthly instalments as originally fixed; and

(1)	(2)	(3)
		(b) it is made clear in every such case that no plea of hardship consequent on re-reversion to a lowr rank or appointment would be accepted as a cause or reduction of the amount recoverable every month.
		(c) the grant of advance to officers referred to at item (a) (ii) above, shall be subject to the conditions that the advance is applied for by an officer within 12 months of his arival at the station abroad.".

23. In sub-regulation (2) of regulation 239, of the said regulations, for the words "two months", the words "four months" shall be substituted.

24. The clause (a) of regulat]on 243, of the said regulations, for the figures "1/80th", the figures, letters and words "1/100th" for the first occasion and "1/75th" for the second occasion shall be substituted.

25. Regulations 246 and 246-A, of the said regulations, shall be omitted.

26. For regulations 247, of the said regulations, the following regulation shall be substituted namely :—

"247. Conditions of admissibility—The general conditions laid down in these regulations in respect of an advance for the purpose of motor cars shall apply, mutatis mutandis, to an advance for the purchase of motor cycles, scooters, scooterettes and autocycles".

27. "248". Sanctioning authrorities — Individual to whom advances for the purchase of motor cycles, scooter, scooterettes and auto-cycles are admissible and the authorities empowered to sanction them are given in the following table :—

To wom admissible	Sanctioning authorities
(a) Individuals serving at Naval Headquarters	
(i) All Naval Officers (ii) All Civilian Officers (iii) All sailors of the rank of LS and above whose basic pay is more than Rs. 500 per months (iv) All civilian sub-ordinates whose basic pay is more than Rs. 500 per month	Chief of the Naval Staff.
(b) Individuals serving in shore establishments outside Naval Headquarters. (i) All Naval Officers (ii) All Civilian Officers (iii) All sailors of the rank of LS and above whose basic pay is more than Rs. 500 per month.	Respective administrative authrories, namely the Flag Officer Commanding in-Chief, Western Naval Command,
(iv) All civilian sub-ordinates whose basic pay is more than Rs. 500 per month	Eastern Naval Command, and Southern Naval Command.
(c) Instrutional Staff and Student officers and other Naval Personnel of the rank of LS and above whose basic pay is more than Rs. 500 per month.	Commandant, Defence Services staff College, Wellington.
(d) Staff and student officers of the National Defence College, New Delhi whose basic pay is more than Rs. 500 per month.	Commandant, National Defence College, New Delhi.
(e) Navel Officers and other Naval Personnel of the rank of LS and aboe whose basic pay is more than Rs. 500/- per month.	Director General, Naval Project, Visakhapatnam.
MOPED :	
(f) (i) Individuals who are eligible for the grant of motor cycle/scooter advance.	(i) Chief of the Naval Staff—in the case of individuals serving at Naval Headquarters.
(ii) All sailors of the rank of LS and above whose basic pay is less than Rs. 500 per month excluding those who are serving in field Concessional areas (The quantum of advance in this case shall be Rs. 1500 only recoverable in 60 monthly instalments).	(ii) Respective Administrative authorities, namely the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Eastern Naval Command and Southern Naval Command in the case of individuals serving under their Commands
	(iii) Commandant, Defence services Staff College, Wellington in the case of individuals

To whom admissible	Sanctioning authorities
	serving in the Defence Services Staff College, Wellington.
	(iv) Commandant, National Defence College, New Delhi in the case of individuals serving in the National Defence College, New Delhi.
	(v) Director General, Naval Project, Visakhapatnam in the case of indivisuals serving in the Naval Project, Visakhapatnam.

28. After regulation 248, of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :—

"248A. Quantum of advance —

(i) On first occasion—The maximum amount admissible shall be Rs. 3500/-for ten month's pay of the individal or the anticipated price of the vehicle, whichever is the least.

(ii) On second/subsequent occasion—Quantum of advance that may be granted on the second or subsequent occasions shall be equal to the difference between the price of the vehicle to be purchased and the sale proceeds left over with the individual after repayment of the earlier outstanding advance (including interest), if any, but the amount of the advance so granted shall not exceed Rs. 2750/- or 8 months pay whichever is the least".

29. For regulation 249 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"249. Recovery of advance —

(i) From officers serving on permanent engagements— The recovery shall be effected in seventy instalments. However, recovery of the advance from an officer who is due to retire within six years from the first issue of pay after the drawal of advance by him shall be made in such number of instalments as would enable recovery of the advance and intrest thereon being completed by the time of issue of the last pay to him before retirement.

(ii) From those serving on temporary engagements:— The advance shall be recoered within three years or before the date of termination of their engagement whichever is earlier."

30. After regulation 274 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :—

"275. Encashment of leave entitlemet of Honorary Commissioned officers who die while in service—

In the event of death of an honorary Commissioned officer while in service, cash equivalent of pay and dearness allowance that the deceased officer would have got, had he gone on annual/accumulated annual leave,but for his death, due and admissible, on the date immediately following the date of death, shall be paid to the heirs.

Explanation :—The term 'pay' for the above purpose shall be as defined in regulation 35 and shall also include submarine pay."

31. In Appendix I to the said regulations, after subclause (a) of clause (2), the following shall be added, namely :

"In the case of Lady Medical Officers of the Army Medical Corps, an initial out fit allowance of Rs. 1000/- (Rupees one thousand) shall be granted on secondment to the Navy. After an effective service of seven years from the date of secondment, they shall be eligible for the grant of renewal outfit allowance of Rs. 800/- (Rupees eight hundred) under the same terms and conditions as applicable to other Medical Officers of the Navy."

32. For Appendix VIII of the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely :

APPENDIX — VIII

(See regulations 86 and 87)

Section I — Qualifications which entitle an officer to higher qualification pay at Rs. 100/- p.m. :

1. Qualified Flying Instructor A-2.
2. Qualified Navigation Instructor Category A-2.
3. Pilot holding Master Green Card.

Section II — Qualifications which entitled an officer to higher qualification pay at R. 125/- p.m. :

1. Qualified Flying Instructor category A-I.
2. Qualified Navigation Instructor Category A-1.

Section III — Qualifications which entitle an officer to lower qualification pay at Rs. 70/- p.m. :

1. Qualified Flying Instructor Category 'B'.
2. Qualified Navigation Instructor Category 'B'.
3. Pilots holding green card.

NOTE : Qulification Pay for qualifications shown in Sections I, II and III above will be admissible subject to the condition that they maintain themselves in the required state of qualification continuously in the interest of the serive and are periodically tested to ensure that they have retained the qualification.

Section IV — Qualifications which entitle an officer to higher qualification grant of Rs. 6000/- Lump-sum :

1. P.S.C.
2. P.T.S.C.
3. Fellow or Member of Institute of Marine Engineers (London), if obtained after passing the examination.
4. Member of Associate Member of Institute of Engineers (India) after passing the examination.
5. Member of Associate Membership of Royal Aeronautical Society U.K./Aeronautical Society (India), if obtained after passing the examination.

6. Long Gunnery Course (G).
7. Long Navigation and Direction Course (ND).
8. Long Torpedo Anti Submarine Course (TAS).
9. Long Communication Course (C).
10. Membership or Associate Membership of Institution of Telecommunication Engineers (INDIA) now known as Institution of Electronics and Telecommunication Engineer, if, after passing the Graduateship examination held by that Institution DSC/PhD in Physics/Applied physics, Telecommunication (Wireless), Mathematics, Egnineering and Metallurgy.
11. DSc/Ph.D. in Physics/Applied Physics, Telecommunication (Wireless), Mathematics, Engineering and Metallurgy.
12. Advanced Meteorological Course.
13. Fighter Combat Course.
14. Test Pilot Course.
15. Long Hydrographic Specialist Course.
16. Long Course in Logistics and Management (LMC).

Section V — Qualifications which entitle an officer to lower qualification grant of Rs. 4,500/- Lump-sum.

1. A pass in Sections 'A' and B' of the Associate Members examination of the Institution of Engineers (INDIA) or any Engineering degree or qualifiction which the Institute recognises for exemption from Sections 'A' and 'B' its Associate Membership examination (for officers who are not Graduates in Engineering at the time of commissioning.).
2. Air Engineering (A/B) Conversion Course.
3. Master Degree in Education.
4. Specialist Photo Officers Course in No. 2 G.T.S. Tembaram.
5. Air Warfare Instructor's Course.
6. Pilot Attack Instructor's Course (for officers doing the course in I.A.F. Training Institutions in India).
7. Advanced/Intermediate Staff Navigators Course.

NOTE : The officers who have qualified SSAC and have not claimed qualification grant before the 1st December, 1980, shall be entitled to claim qualifiction grant of Rs. 4500.

Section VI — Qualfications which entitle an officer to the qualification grant of Rs. 2400/- lump-sum. Bar-at-law, LLB. B.L. or any equivalent or higher degree in law.

Section VII - Qualifications which entitle an officer to the qualification grant of Rs. 1600/- lump-sum. Aeronautical Inspection Service Course".

FOOT NOTE : The principal regulations were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 dated the 5h January, 1966 vide notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. CSR 1-E, dated the 5-1-1966 and were subsequently amended by :—

(i) Notification of the Government of India No. CSR 9E, dated 19-3-1974 published in Gazette of India, Part II, Section 4 at pages 1 to 124.

(ii) Notification of the Government of India No. CSR 19E, dated 23-10-1986 published in Gazette of India, Part II, Section IV (Extra-Ordinary).....

[F. No. PC to MF PA/1402/III]
ARVIND KAUL, Jt. Secy. (P&W)

रक्षा उत्पादन विभाग (डी जी क्यू ए)

नई दिल्ली, 12 मई, 1989

का.नि.आ. 133 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन विभाग, निरीक्षण महानिदेशालय, समूह "ग" अराजपत्रित हिन्दी पद भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग (क्वालिटी, आश्वासन महानिदेशालय) में समूह "ग" (कनिष्ठ अनुवादक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग क्वालिटी आश्वासन समूह "ग" अराजपत्रित (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता, वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ अनुवादक	3* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1800 द. रो.-50-2300 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	28 वर्ष : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए-गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ऐसे पदों की, बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
8	9
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी हो । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी हो या दोनों विषयों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो ।	लागू नहीं होता

8	9
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से एक विषय के साथ और अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में दूसरे विषय के साथ स्नातक की डिग्री और हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद पाठ्यक्रम का या कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11	12
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से :— (क) (i) जो सवृत्त पद धारण करते हैं। (ii) जिन्होंने 1200-30-1560-ई. रो.-40-2040 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर उसी श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। (ii) जिन्होंने 950-20-1150-ई. रो.-25-1500 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 में अधिकथित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय समिति III पुष्टि के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. स्थापन के प्रधान – अध्यक्ष 2. स्थापन के प्रधान के नीचे का ज्येष्ठतम अधिकारी – सदस्य 3. स्टेशन पर अवस्थित अन्य डी जी क्यू ए स्थापन से एक अधिकारी, जिसके नहीं हो सकने पर स्टेशन में अवस्थित आर और डी स्थापन से एक अधिकारी और दोनों के न हो सकने पर किसी अन्य रक्षा स्थापन से एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए/98145/डीजीक्यू ए/प्रशा.–10 डी (निरीक्षण)]
वि. ना. ओटी, अवर सचिव

RAKSHA UTPADAN VIBHAG (DGQA)

New Delhi, the 12th May, 1989

S.R.O. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Raksha Utpadan Vibhag, Directorate General of Inspection, Group 'C' Non-Gazetted Hindi posts Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' (Junior Translator) posts in Raksha Utpadan Vibhag (Directorate General Quality Assurance), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General Quality Assurance Group 'C Non-Gazetted (Junior Translator) Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Offical Gazette.

2. Number, Classification and scale of Pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Whether benefit of added years of service admissible under CCS (Pension) Rules.	Age limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Translator	*3 *Subject to variation depending on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Not applicable.	Not applicable.	28 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). NOTE : The crucial date for determining the age limit will be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchanges the crucial date for determining the age limit, in each case, the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion and % of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Master's degree of a recognised University in Hindi/English, with English/Hindi as a compulsory elective subject or as a medium of examination at degree level. OR Bachlor's degree of a recognised University with Hindi and English as compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject, plus a recognised Diploma/Certificate Course in Translation from Hindi to English	Not applicable	2 years for direct recruits	By transfer on deputation/transfer failing which by direct recruitment

8	9	10	11
and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/ State Government Offices, including Govt. of India undertakings. OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English, with Hindi and English as compulsory/elective subject or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/ elective subject at degree level. OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English, with Hindi/English medium and English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level.			

In case of recruitment by promotion or deputation or transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee III exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment
(12)	(13)	(14)
Transfer on deputation/transfer : From amongst Central Government Officers holding :— (a) (i) holding analogous post; (ii) posts in the pay scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 or equivalent with 3 years regular service in the grade. (iii) posts in the pay scale of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500 or equivalent with five years regular service in the grade. (b) possessing education and other qualifications laid down in Col. 8 for direct recruits.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :— 1. Head of the Establishment — Chairman 2. Senior most Officer next to the Heads of Establishment. — Member 3. An Officer from other DGQA Establishment located in the station failng with an officer from R & D Establishment located in the state in and failing both an Officer from other Defence Establishment. — Member	Not applicable.

[File No. A/98145/DGQA/Adm.-0/D (Inspection)]
V.N. AWATI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989